

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 612/विकास कार्य/नि0सू0/2025-26

दिनांक 05/02/2026

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों, जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 07 विकास कार्यों को करने हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 17.02.2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक uktenders.gov.in की वेबसाइट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2026 को सांय 03.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ.डी.आर./सी.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में होगी तथा अधिशासी अभियन्ता, म.दे.वि. प्रा. के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेख के साथ उक्त वेबसाइट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रति उक्त तिथि दिनांक 17.02.2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ.डी.आर. व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र जी.पी.डब्लू-09 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या 1197/II(2)/07-75(सामान्य)/ II दिनांक 24-02-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 90⁶दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में) बिना जी0एस0टी0	धरोहर राशि (रु0)	निविदा मूल्य मय जी0एस0टी0 सहित (रु0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह)	निविदा की वैधता (दिन)
1	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत कारगी पटेलनगर बाईपास रोड से पामसिटी में आन्तरिक डामरीकरण सडक निर्माण कार्य (टू-बिड के आधार पर)	122.97	2,46,000	4720	03	60
2	रायपुर विधानसभा के अन्तर्गत मोहकमपुर में अम्बेडकर भवन का जीर्णोद्धार का कार्य।	8.03	24,090	1180	03	60

बिना

3	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत टी-इस्टेट बंजारावाला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य (टू-बिड के आधार पर)	397.54	7,95,000	59,00	12	60
4	विधानसभा धर्मपुर के अन्तर्गत ब्रह्मपुरी के छट पार्क में नहर निर्माण का कार्य।	7.54	15080	1180	04	90
5	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत शक्ति विहार बी0एम0एस0डी0बी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य	44.71	89420	3540	06	90
6	शक्ति विहार फेस-2 में बी0एम0एस0डी0बी0सी0 का सड़क निर्माण कार्य	45.10	90,200	3540	06	90
7	धर्मपुर विधानसभा के अनतर्गत मोथरोवाला में बेंच लगाने का कार्य	4.50	13,500	590.00	03	90

द्वारा
अधिशायी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

अन्य नियम एवं शर्त :-

- 1- जिन ठेकेदारों/फर्मों को पूर्व से प्राधिकरण के किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुये हो, वह कार्य अनुबंध की प्रकिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
- 2- एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेंगे। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।
- 3- किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यों में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 4- uktender.gov.in एवं mddaonline.in की वैबसाईट व दैनिक समाचार पत्र पर विज्ञापित जारी होने के पश्चात् प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।
- 5- निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :-
 - निविदा वैद्यता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, no dues के सम्बन्ध में, रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रु0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवंटित कार्यों/निर्माणाधीन कार्यों अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवंटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र में गलत सूचना दिये जाने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2)17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्क्योरिटी जमा करनी होगी।

7-प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।

8-ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को वेबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाईयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

9-कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।

10. कर्मांक - में वर्णित कार्य में टू-बिड के आधार पर इस प्रकार के कार्य करने वाली दक्ष एवं अनुभवी फर्मों/ठेकेदार जिनके पास आवश्यक अनुभव/दस्तावेज हो, उन्ही के द्वारा ही निविदा में भाग लिया जायेगा।

11. शासनादेश संख्या 306433/2025(9)/02 अधिप्राप्ति/2024 ईपत्रावली सं0 76643, दिनांक 13.6.2025 के क्रम में फर्म द्वारा ई-निविदा हेतु जमा कराये गये अभिलेखों में प्रत्येक पार्टनर/प्रोप्राईटरो का मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है एवं इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा प्रत्येक टेण्डर के साथ अपनी फर्म का इन्विलस्टमेंट प्रमाण पत्र भी जमा कराना अनिवार्य है।

प्रतिलिपि:-

1-सचिव, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

2-वित्त नियंत्रक, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

3-मुख्य अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

4-अधिशासी अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

5-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।

6-नाजिर, म.दे.वि.प्रा. को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7-आई.टी. अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

9-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।


अधिशासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। 

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 612 / अमि0 / नि0सू0 / 2025-26

दिनांक 05/02/2026

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के कुल 07 विकास कार्य हेतु ई-निविदा दिनांक 17.02.2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक uktenders.gov.in की वैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई-निविदा को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2026 को अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियम तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वैबसाईट mddaonline.in में भी दिया गया है। यदि उक्त निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशोधन आदि किये जाने की आवश्यकता होती है, तो उसकी सूचना उक्त वैबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

अधिशायी अभियन्ता,
म.दे.वि.प्रा. दे.दून।